# कार्यालय निदेशक, प्रारंभिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर

क्रमांकः—शिविरा/प्रारं/साप्र/बी/2611/मूल/18 दिनांकः— 12/3/18

जिला शिक्षा अधिकारी,
प्रारंभिक शिक्षा,
समस्त

विषयः—प्रारंभिक शिक्षा विभाग के मृतक आश्रितो को अनुकम्पा नियुक्ति के सम्बन्ध मे।

प्रसंगः—समसंख्यक परिपत्र दिनांक 20.02.2018

उपर्युक्त विषयान्तर्गत मृतक राज्य कर्मचारियो के आश्रितो को अनुकम्पात्मक नियुक्ति प्रदान करने के पीछे राज्य सरकार की यह भावना रहती है कि मृतक राज्य कर्मचारी के आश्रित परिवार को जीवनयापन के लिये तत्काल सहारा दिया जावे। किन्तु विभाग के यह ध्यान में आया है कि कतिपय अनुकम्पा नियुक्ति प्रकरण लम्बे समय तक आक्षेप—पूर्ति करवाये जाने की प्रकिया में लम्बित पडे रहते है। अतः प्रासगिक परिपत्र के निर्देशानुसार कार्यवाही करे, अगर किसी प्रकरण में आवेदक द्वारा आक्षेप—पूर्ति नही की जा रही है तो आवेदक को जरिये रजिस्टर्ड वांच्छित आक्षेप—पूर्ति के समस्त दस्तावेजो सहित आपके कार्यालय में उपस्थित होने हेतु 07 दिवस का समय देकर निर्देशित करे कि अगर उक्त समय में कार्यालय मे उपस्थित होकर आक्षेप—पूर्ति नही करने की स्थिति में आपकी पत्रावली बन्द कर दी जायेगी।

**निदेशालय एवं आपके कार्यालय में प्रकियाधीन प्रकरणो में निदेशालय द्वारा समय—समय पर आक्षेप—पूर्ति हेतु आपके कार्यालय को भिजवाये गये प्रकरणो में तत्काल वांच्छित आक्षेप—पूर्ति कर भिजवावे ताकि तदनुसार प्रकरणो का निस्तारण किया जा सके।**

भविष्य में मृतक राज्य कर्मचारी के आश्रितो के अनुकम्पा नियुक्ति प्रकरणो का विभागीय जॉच सूची अनुसार आक्षेप—पूर्ति करवाते हुवे निदेशालय को भिजवावे। इसमें विशेष ध्यान रखे कि प्रकरण निर्धारित जॉच सूची अनुसार पूर्ण होने पर ही निदेशालय को भिजवावे।

6.3.18

जिला शिक्षा अधिकारी
निदेशाालय प्रारंभिक शिक्षा,
राजस्थान, बीकानेर

www.rajteachers.com